

**प्रेस विज्ञापित**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित/जिला बदर/अवैध असलहा/गुण्डा एकट/ पोक्सो एकट/आबकारी एकट से सम्बन्धित कूल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है-

**थाना- बरदह**

**जिला बदर अपराधी गिरफ्तार**

आज दि0 16.09.2020 SI संजय सिंह मय हमराह कान्स0 अनुपम सिंह कान्स0 योगेन्द्र यादव कान्स0 अभयप्रताप सिंह कान्स0 अमित तिवारी प्राइवेट मोटरसाइकिल से देखभाल क्षेत्र पेण्डिंग विवेचना तलाश वांछित अपराधी संदिग्ध व्यक्ति के ठेकमा बाजार मे खडे होकर बैको की चेकिंग वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबीर खास ने आकर बताया कि एक व्यक्ति जो जिला बदर अपराधी है सादीपुर गांव जाने वाले मार्ग पर हनुमान जी के मन्दिर के पास खडा है मुखबीर की सूचना पर विश्वास करके SI मय हमराह पुलिस बल के साथ छिपते - छिपते हनुमान मन्दिर के पास आये जहां सामने खडे व्यक्ति की ओर मुखबीर इशारा करके चला गया मुखबीर द्वारा बताये गये व्यक्ति को पुलिस बल का प्रयोग कर समय करीब 3.30 बजे पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजन सिंह पुत्र अशोक सिंह ग्राम सादीपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया तथा मन्दिर के पास खडे होने का कारण पूछा गया तो गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं चोरी से इस जनपद मे अपने घर पत्नी से मिलने जा रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया है इस बार छोड़ दीजिए दूसरी बार गलती नहीं करुंगा । पकडा गया व्यक्ति थाना बरदह का जिला बदर अपराधी है जिसे दिनांक 11.09.2020 को अपर जिला मजिस्ट्रेट भू-राजस्व आजमगढ़ द्वारा 06 माह के लिए जिला बदर किया गया चूकी अभियुक्त जिला बदर अपराधी है । अतः कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 15.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान जुर्म स्वीकार किया गया ।

**पंजीकृत अभियोग-**

1- 220/2020 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी अधिनियम, थाना-बरदह, आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-**

1- मु0अ0स0- 212/15 धारा 41,411,413,414,420,467,468,471 भादवि थाना बरदह आजमगढ़

2- मु0अ0स0- 97/19 धारा 3/25 आर्म्स एकट थाना बरदह आजमगढ़

3- मु0अ0स0 22/16 धारा 307 भादवि थाना बरदह आजमगढ़

4- मु0अ0स0 97/19 धारा 3/25 आर्म्स एकट जीआरपी मुगलरसाय चन्दौली

5- 110जी सीआरपीसी थाना बरदह आजमगढ़ 5.5.2019

6- गुण्डा अधिनियम 3(1) उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम 1.1.2020

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- राजन सिंह पुत्र अशोक सिंह ग्राम सादीपुर थाना बरदह जिला आजमगढ़ उम्र करीब 28

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-SI संजय सिंह मय हमराह थाना-बरदह, आजमगढ़।

**थाना- बरदह**

**एक अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

आज दि0 16.09.2020 SSI त्रिलोकी नाथ पाण्डेय थाने से रवाना होकर क्षेत्र में पहले से मामूर का0मनोज तिवारी व का0अमरनाथ शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र, व तलाश वांछित अभियुक्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन ग्राम बक्सपुर वीकापुर होते हुए वापस पुल के पास हम लोग पहुंचे थे कि एक ब्यक्ति बेसोनदी के पास आ गया था कि अचानक पुलिस वालो को देख कर एकदम से सक पकाया और पिछे मुडकर राजागंज बाजार की तरफ तेज कदमो से भागने लगा कि सक होने पर हमराही कर्म0गणो की मदद से एक वारगी दविश देकर घेरकर पुल के वीचो समय 21.30 बजे रात पकड लिया गया पकडे गये ब्यकित से पुछते हुये जमा तलाशी ली गयी तो अपना नाम बच्चन बनवासी पुत्र स्व बुद्धू बनवासी ग्राम छुनझा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर हाल पता ससुराल पुनम बनवासी ग्राम महुजानेवादा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष जिसकी जमातलाशी ली गई तो पहले हुए जिन्स पैन्ट के बाये पैन्ट में खुसा हुआ एक अदद तमंचा देशी 303 बोर का बरामद हुआ।कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्त को समय 21.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान अपना जूम स्वीकार किया गया

**पंजीकृत अभियोग-**

1- 222/2020 धारा 3/25 आर्म्स एकट थाना-बरदह, आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1- बच्चन बनवासी पुत्र स्व बुद्धू बनवासी ग्राम छुनझा थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर

**बरामदगी-**

1- एक अदद देशी तमंचा 303 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1- SSI त्रिलोकी नाथ पाण्डेय मय हमराह थाना-बरदह, आजमगढ़।

## थाना- बरदह

### आबकारी एक्ट में 10 लीटर अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दि० 16.09.2020 उप निरी० शमशाद अली मय हमराह का०गोपाल रजक व का०हेमन्त कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, व तलाश वांछित अभियुक्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में मामूर होकर प्राईवेट वाहन से ग्राम चौकी मोड पर आये क्रासिंग डिवाइडर पर चौकी ग्राम की तरफ से एक ब्यक्ति रोड डिवाइडर क्रास करने वाला था की यह ब्यक्ति तुरन्त पुलिस वालों को देख कर पिछे मुडा और तेज कदमो से वापस चौकी गाँव गेट की तरफ चलने लगा सक होने पर तुरन्त मौजूदा पुलिस भी पिछे बढे उस व्यक्ति हाथ दाहिने में एक जरीकेन सफेद रंग पकडे था। रोका व टोका नही रूका नही और भागने का प्रयास करने लगा तब प्राईवेट वाहन खडा कर पिछा कर घेर कर पुलिस बल द्वारा समय करीब 20.30 बजे पकड लिया। पकडे ब्यक्ति की जमा तलाशी लेते हुये नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम पंकज सरोज पुत्र गुलाब सरोज नि०बरदह थाना बरदह जि०आजमगढ बताया तथा जरीकेन सफेद रंग की मे क्या है पुछा गया तो उसने बताया की शराब है उसके दाहिने हाथ मे पकडे दाहिने हाथ में पकडे जरीकेन का ढक्कन खोल कर पुछा तथा कर्म०गण के सुघाया गाया तो कच्ची शराब की बू आ रही है शराब रखने का कारण पुछा तथा लाईसेन्स तलब किया तो माफी मागने लगा आभि०को उसके जूर्म धारा 60 आबकारी अधि०से अवगत करा हिरासत पुलिस में लिया अतः कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 20.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि शराब बेचकर मैं अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ।

#### पंजीकृत अभियोग-

**1- 221/2020 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना-बरदह, आजमगढ।**

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

**1- पंकज सरोज पुत्र गुलाब सरोज नि०बरदह थाना बरदह जि० आजमगढ**

**बरामदगी- 10 लीटर नाजायज देशी शराब**

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

**1- SI शमशाद अली मय हमराह थाना-बरदह, आजमगढ।**

## थाना जहानागंज

### दुष्कर्म का आरोपी अपचारी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.9.2020 को वादी विरेन्द्र बारी पुत्र स्व० त्रिलोकी बारी ग्राम सुहवल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के लिखित सूचना पर मु०अ०स० 197/20 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया।

दिनांक 17.09.2020 को उ०नि० बांके बहादुर मय हमराह द्वारा मु०अ०स० 197/20 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पास्को एक्टसे सम्बन्धित वांछित अपचारी गुड्डू चौहान पुत्र रामदास चौहान ग्राम सुहवल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को समय करीब 09.00 बजे सुबह मे मन्दे बाजार से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पूछताछ विवरण:-** अपचारी गुड्डू चौहान पुत्र रामदास चौहान ग्राम सुहवल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ पुछने पर गलती की माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब गलती हो गयी। अब दोबारा गलती नहीं करुगा।

#### पंजीकृत अभियोग:-

**1- मु०अ०स० 197/20 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पास्को एक्ट**

#### गिरफ्तार अभियुक्त:-

**1- अपचारी गुड्डू चौहान पुत्र रामदास चौहान ग्राम सुहवल थाना जहानागंज जनपद आजमगढ**

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

**1-उ०नि० बांके बहादुर मय हमराह थाना-जहानागंज, आजमगढ**

## थाना- कप्तानगंज

### 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 17.09.2020 को तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ०नि० उमेश चन्द मय हमराहीयान के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 151/2020 धारा 354/323/504/452 भा०द०वि० में नामजद अभियुक्त दुर्गा सिंह पुत्र अंशदार सिंह सा० नेवादा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढको उसके घर से गिरफ्तार कर मा०न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु रवाना किया गया।

**पूछताछ का विवरण-** पूछताछ किया गया तो अपनेजुर्म से इन्कार कर रहा है।

#### पंजीकृत अभियोग-

**1- मु०अ०स० 151/2020 धारा 354/323/504/452 भादवि थाना-कप्तानगंज, आजमगढ।**

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

**1. दुर्गा सिंह पुत्र अंशदार सिंह सा० नेवादा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ**

#### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

**1- उ०नि० उमेश चन्द मय हमराह थाना-कप्तानगंज, आजमगढ।**